

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग
प्रशिक्षण प्रखण्ड,
व्यावसायिक परीक्षा परिषद, देहरादून उत्तराखण्ड
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में
एस0सी0वी0टी0 व्यवसायों में प्रवेश हेतु



कौशल बलम्

विवरण पुस्तिका— 2024
(आवेदन पत्र सहित)

मूल्य:— (अनु0जाति/अनु0जनजाति)
अन्य समस्त वर्ग

रु0 50 /—
रु0 75 /—

परिषद का पता:—

निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद,
राजकीय आई0टी0आई0 (युवक) परिसर
निरंजनपुर, माजरा देहरादून (उत्तराखण्ड)

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि:—09.11.2024

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि: 23.11.2024

उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां एवं राज्य में सीमित औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के युवाओं का कौशल विकास कर कुशल कारीगर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इससे राज्य के युवाओं को औद्योगिक रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं और उनको स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित किया जा सकता है ताकि राज्य के प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो एवं राज्य से पलायन को भी रोका जा सके। इस प्रकार राज्य में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य युवाओं/स्कूल छोड़ चुके लोगों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करके उद्योगों के लिये कुशल कारीगर उपलब्ध कराना एवं सभी शिक्षित युवाओं का कौशल विकास (Skill Development) करके औद्योगिक रोजगार व स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

कतिपय गैर एनसीवीटी सम्बन्धन प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme) के अन्तर्गत विभिन्न रोजगारपरक इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को कुशल कारीगर के रूप में राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (State Trade Certificate) उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक होती है और प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता 8वीं से लेकर 10वीं उत्तीर्ण तक होती है।

आवेदनकर्ताओं के लिये आवश्यक निर्देश

नोट:- एस0सी0वी0टी0 के अन्तर्गत संचालित व्यवसायों की मान्यता एन0सी0वी0टी0 भारत सरकार से नहीं है।

1. **आवेदन पत्र का प्राप्त किया जाना:-** एस0सी0वी0टी0 से मान्य व्यवसायों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि विवरण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दी गयी है। आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है।
2. **आवेदन पत्र का भरा जाना:-** आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका का भलीभाँति अध्ययन कर लें। तत्पश्चात आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा जाय। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग, ओवरराईटिंग, फ्लूड का प्रयोग होने एवं गलत सूचनायें देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
3. **आवेदन पत्र का जमा किया जाना:-** आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विवरण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दी गयी है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र उसी संस्थान में जमा करेंगे जिस संस्थान में वह प्रवेश चाहता है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, आरक्षित वर्ग, चरित्र प्रमाण पत्र (मूल में), फोटो आदि समस्त अंक पत्रांक/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जानी आवश्यक है।
4. **प्रशिक्षण प्रवेश सत्र-** एससीवीटी हेतु प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक वर्ष सितम्बर से अगस्त तक होता है।

प्रवेश हेतु अनिवार्यता:-

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हों।

या

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड से बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु वो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों।

5. उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय एवं उनकी प्रवेश क्षमता—वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न रा0औ0प्र0संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत एससीवीटी के इन्जीनियरिंग एवं नॉन इन्जीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिनमें प्रवेश हेतु व्यवसायवार/संस्थानवार विवरण निम्नवत् है :-

एस0सी0वी0टी0 सीट मैट्रिक्स सत्र 2024											
क्र०स०	जनपद का नाम	रा0औ0प्र0 संस्थान का नाम	व्यवसाय प्रवेश क्षमता सहित								कुल योग
			फिटर	विद्युतकार	मैकेनिक मोटर व्हीकल	कोपा	स्वीईंग टेक्नोलॉजी	फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी	आशुलि पि हिन्दी	वैल्डर	
1	अल्मोड़ा	सदरक्वैराला					20				20
2		बमस्यूँ				24					24
3	बागेश्वर	कठपुड़ियाछीना					20				20
4		कपकोट				24					24
5		नाकुरी		20							20
6	नैनीताल	डोनपरेवा		20							20
7		वि० भीमताल				24					24
8	चम्पावत	खेतीखान						20			20
9		चम्पावत	20								20
10		तल्लादेश		20		24					44
11		दिगालीचौड़		20							20
12		बनबसा			24						24
13	पिथौरागढ़	जाखपुरान			24						24
14	देहरादून	कालसी			24						24
15	पौड़ी	पाबौ					20		24		44
16		बूंगीधार				24					24
17		कॉसखेत					20				20
18		गैण्डखाल					20			20	40
19		रिखड़ीखाल					20				20
20	रुद्रप्रयाग	बसुकेदार	20	20							40
21		अगस्त्यमुनि		20							20
22	नई टिहरी	रजाखेत		20							20
23		चाका	20								20
	योग		60	140	72	120	120	20	24	20	576

6. प्रवेश हेतु आयु सीमा— 01 अगस्त 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी हेतु की अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

7. उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय/प्रशिक्षण अवधि/न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसाय का संक्षिप्त परिचय—

व्यवसायवार निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी पूर्णतया: अर्हतावार आवेदन पत्र भरने के योग्य है, अतः तदनुसार ही आवेदन पत्र भरा जाये। किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि त्रुटिपूर्ण ढंग से अर्हता से इतर अभ्यर्थी द्वारा किसी व्यवसाय में आवेदन पत्र भरा गया है तो बिना किसी नोटिस अथवा अग्रेत्तर कार्यवाही के उसका आवंटन अथवा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। व्यवसाय में प्रवेश हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता के व्यवसायवार विवरण निम्नवत् हैं, कृपया अभ्यर्थी उसका भली भाँति अध्ययन कर लें व तदनुसार ही आवेदन पत्र में व्यवसायों का चयन करें।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों व न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का विवरण

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
1	फिटर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना, औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
2	इलैक्ट्रीशियन	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाईडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।
3	मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	डीजल एवं पैट्रोल से चलनी वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों को चलाना।
4	वैल्डर	एक वर्ष	आठवीं पास	धातु से बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।
5	फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	(10+2) शिक्षा प्रणाली के अर्न्तगत हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग कर डिजाइन करना।
6	स्वीईंग टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	आठवीं पास	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।
7	कोपा	एक वर्ष	(10+2) शिक्षा प्रणाली के अर्न्तगत हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेज को चलाने का ज्ञान।
8	आशुलिपि हिन्दी	एक वर्ष	(10+2) शिक्षा प्रणाली के अर्न्तगत हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	हिन्दी भाषा को सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।

उपरोक्तानुसार व्यवसायवार दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी0जी0टी0 भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है। प्रवीणता सूची के निर्माण के लिये आवेदन पत्र में नाम आदि की सही सूचना के साथ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक / प्राप्तांक / प्रतिशतांक का विवरण त्रुटिरहित रूप से भरे तथा पुष्टि के रूप में सम्बन्धित परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संस्थान में जमा की जानी अनिवार्य होगी। पुष्टि के अभिलेख / अंक पत्र तथा भरे गये विवरण में भिन्नता की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं है।

अभ्यर्थी अपने इच्छित व्यवसाय विशेष हेतु अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (आठवीं अथवा हाईस्कूल जैसा लागू हो) के अनुसार ही चयन करें जिसका विवरण उपरोक्तानुसार दिया गया है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी व्यवसाय के विकल्प को अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही भरें जिसका व्यवसायवार विवरण उपरोक्तानुसार प्रदर्शित है।

शासनादेश के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजकीय आई0टी0आई0 में चयन हेतु पात्र नहीं है। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष

परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष परीक्षा के आधार पर चयन हेतु आवेदन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर के समकक्ष होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर के सक्षम अधिकारी से स्वयं प्राप्त कर चयनित राजकीय आई0टी0आई0 में देना आवश्यक होगा, इसके अभाव में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

8. **स्वास्थ्य सम्बन्धी** — राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्यक्षमता को सम्पन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सम्पूर्ण प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग है एवं दिव्यांगता की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आंकलन संस्थान स्तर पर भी किया जायेगा। प्रत्येक नेत्र का बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आंखों की रोशनी दोनों आंखों में 6/18 या एक आंख में 6/24 बिना चश्मे के होना चाहिए। एक आंख वाले अभ्यर्थी जो कलर ब्लाइन्डनेस दोष से मुक्त हो, भी चयन के पात्र है।

9. **प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था**—राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के समय समय पर निर्गत शासनादशों के अधीन किया जाना है।

यदि कोई अभ्यर्थी प्राविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उप वर्ग का प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्थान में प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझा जायेगा। आवेदन निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।

10. **मैरिट लिस्ट तैयार की जानी तथा प्रकाशन की प्रक्रिया** :—अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों की छायाप्रति के साथ आवेदन की अंतिम तिथि तक किसी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र जमा किया जाना होगा। मैरिट सूची प्रकाशन पश्चात प्रवेश के समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र के विवरण में अंकित जानकारी (शैक्षिक योग्यता, प्राप्तांक प्रतिशत, आयु, आरक्षण वर्ग आदि) संलग्न अभिलेखों के अनुसार नहीं है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा साथ ही अग्रेत्तर कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा सकती है।

मैरिट सूची का प्रकाशन :—योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा 8वीं/माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग-अलग बनाई जायेगी। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता वाले आवेदनकर्ताओं को तीन प्रतिशतांक वरीयता अंक पृथक से आवंटित किये जायेंगे तथा तदनुसार प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

प्राप्तांक प्रतिशत की गणना हेतु अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है, सम्बन्धित बोर्ड द्वारा प्रतिशत गणना हेतु निर्धारित मानक ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपनी अंकतालिका की भली भाँति जाँच/परीक्षण कर ही प्राप्तांक/पूर्णांक का अंकन ऑनलाईन आवेदन में करेंगे। समतुल्य ऐसे बोर्ड, जहाँ प्रतिशतांक के स्थान पर ग्रेड/सी.जी.पी.ए द्वारा अंकपत्र निर्गत किये जाते हैं, वहाँ सम्बन्धित बोर्ड द्वारा निर्धारित गुणांक से प्रतिशतांक की गणना की जायेगी। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।

मैरिट सूची में परसैन्टाइल दशमलव के पश्चात 03 स्थानों तक तैयार की जायेगी।

एक समान प्रतिशतांक वाले आवेदनकर्ताओं में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो तो क्रमशः गणित, विज्ञान के अंक प्रतिशत को मानते हुए उसी क्रम में अधिक अंकवाले को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उक्त के भी समान रहने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थी के नाम के पहले वर्ण (लैटर) के आधार पर की जायेगी।

11. **प्रशिक्षण शुल्क सम्बन्धी** – एससीवीटी के अन्तर्गत अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण अवधि के लिये शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होंगे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को शासनादेश के अनुसार छूट अनुमन्य होगी।
12. **संस्थानों में न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता:** – राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थियों हेतु वार्षिक राज्य स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित होने तथा उत्तीर्ण होने की स्थिति में राज्य स्तरीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। न्यूनतम उपस्थिति के अभाव में प्रशिक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
13. **शिशिक्षु प्रशिक्षण (Apprenticeship Training)** – आईटीआई0 उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी विभिन्न राजकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में एक वर्षीय शिशिक्षु प्रशिक्षण (Apprenticeship) भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस हेतु भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) नई दिल्ली द्वारा शिशिक्षु अधिनियम-1961 अधिसूचित किया गया है, जिस हेतु प्रशिक्षार्थी अप्रेंटिस पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in सीधे online आवेदन कर सकता है। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा (All India Apprenticeship Trade Test) आयोजित की जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रमाण पत्र (National Apprenticeship Certificate) प्रदान किया जाता है। उक्त दोनों व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सेवायोजन के साथ स्वतः रोजगार के लिए भी सक्षम हो जाता है।

व्यावसायिक परीक्षा परिषद, देहरादून उत्तराखण्ड
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस0सी0वी0टी0 व्यवसायों में प्रवेश हेतु
आवेदन पत्र – 2024

नोट:—अभ्यर्थी समस्त प्रविष्टियों अपने हाथ से अंकित करें।

1. आवेदन हेतु संस्थान का नाम

2. अभ्यर्थी का नाम

(अंग्रेजी के Capital Letter में):

अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)

3. (क) पिता/पति/अभिभावक का नाम:.....

4. माता का नाम:

5. (क) पता (स्थायी):

..... फोन नं0.....

(ख) वर्तमान पत्र व्यवहार का पता:.....

.....

6. जन्म तिथि (हाईस्कूल के अनुसार): (अंको में):

(शब्दों में):

7. आरक्षित वर्ग: (प्रमाण—पत्र संलग्न करें) (✓)

सामान्य	अनु0जाति	अनु जनजाति	पिछड़ी जाति	इडब्ल्यूएस
---------	----------	------------	-------------	------------

8. अन्य वर्ग: (✓)

विकलांग	सै0 आश्रित	स्व0सं0सै0 आश्रित	महिला
---------	------------	-------------------	-------

9. प्रवेश हेतु वरीयताक्रम में व्यवसाय:—

1.

2.

10. अर्हकारी शैक्षिक योग्यता:- (प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)

क्र०सं०	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	स्कूल/कालेज का नाम	बोर्ड/वि०वि० का नाम	अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	परीक्षा विषय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आठवीं							
2	हाईस्कूल							

11. क्या आप उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं? हाँ/नहीं

12. क्या अभ्यर्थी ने निर्धारित शैक्षिक योग्यता उत्तराखण्ड स्थित स्कूल से की है या अन्य राज्य से :-

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि क्रमांक 1 से क्रमांक 12 में दी गयी सूचनायें मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाय। इसके लिए मैं कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

नाम

दूरभाष नं०

दूरभाष नं०

